छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक ....03.... /वि.स./संपदा/2010 रायपुर, दिनांक 18.11.2010

// निविदा विज्ञापन //

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के भवन /परिसर की साफ–सफाई संबंधी कार्य हेतु वार्षिक अनुबंध कर ठेका दिए जाने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से सील बंद निविदा/भावपत्र, दिनांक **08 दिसम्बर, 2010** को सायंकाल **04:00** बजे तक आमंत्रित किए जाते है। निविदा की विस्तृत शर्तें/जानकारी सचिवालय की संपदा शाखा के कक्ष क्रमांक : **बी – 07** से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती हैं अथवा सचिवालय की वेब साईट www.cgvidhansabha.org पर भी उपलब्ध रहेगी ।

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा.

— : निविदा की शर्तें / जानकारी :—

1. निविदा प्रदायकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह वित्तीय वर्ष 2010—11 का आयकर चुकता प्रमाण पत्र , सेवा कर सबंधी पंजीयन श्रम विभाग संबंधी पंजीयन की प्रति निविदा के साथ संलग्न करें ।

2 प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में **रूपये 10,000/—** (**अक्षरी रूपये दस हजार मात्र**) का डिमाण्ड ड्राफ्ट सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर के नाम से देय संलग्न करना होगा एवं अनुबंध की अवधि मे भुगतान हेतु प्रस्तुत देयक राशि में से 5% प्रतिशत की कटौती सिक्युरिटी डिपोजिट के रूप में की जावेगी ।अनुबंध अवधि समाप्त होने पर कटौती की गई सिक्युरिटी डिपोजिट की सम्पूर्ण राशि रिलीज कर दी जावेगी .

3 विधानसभा भवन/परिसर की सफाई के लिए कार्य क्षेत्रफल का अवलोकन हेतु उप सचिव (सम्पदा) से कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता हैं

4 निविदाकर्ता द्वारा निविदा निर्धारित तिथि एवं समय पर सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय विधान नगर , रायपुर को संबोधित करते हुए उप सचिव (सम्पदा) को प्रस्तुत की जा सकती हैं ।

5. निर्धारित समय—सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी ।

6. निविदा को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का सर्वाधिकार सचिव , छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा ।

7. ठेकेदार को विधानसभा भवन एवं विधानसभा परिसर में स्थित सभी भवनों के कक्ष , बरामदे , छत , आंगन, शौचालयों , रेलिंग , गलियारों , सीढ़ियों , समस्त खुले परिसर सहित की साफ—सफाई करना होगा तथा दरवाजे , खिडकियों से धूल—जाले तथा पान—तम्बाखू के दाग भी हटाना होगा ।
निर्माणाधीन कम्यूनिटी हॉल की साफ—सफाई हेतु पृथक से दरें दी जाये ।

8. विधानसभा सत्र के दौरान सुबह **8:30** बजे के पूर्व सफाई करना अनिवार्य होगा और आवश्यकतानुसार सफाई कर्मी भी बढ़ाना होगा

9. माननीय अध्यक्ष , मंत्रीगणों एवं अधिकारियों के कक्षों में फर्श तथा कारपेट की सफाई की जानी होगी

10 सभी शौचालयों की सफाई में फिनाईल , लिक्विड सोप , फिनाईल गोलियों, ऑडोनिल फ्रेशनर, टॉयलेट पेपर रोल के प्रयोग के साथ हारपिक जैसे लिक्विड के प्रयोग से किया जाना होगा , शौचालयों की सफाई़ प्रति घंटे के अंतराल में करनी होगी । समस्त सामग्री का स्टॉक भी निरन्तर रखना होगा ।

11 सभा कक्ष , जिन कक्षों में कारपेट लगा हुआ है , वैक्युम क्लीनर एव शैम्पू से सफाई किया जाना होगा ।

12 डस्टबीन तथा थुकदानों की सफ़ाई कर कचरा हटाकर परिसर में नियत स्थान पर ले जाकर डालना होगा तथा थुकदान की रेत प्रतिदिन बदलनी होगी

13 महिला शौचालयों की सफाई हतु महिला सफाई कर्मी आवश्यक रूप से रखना होगा ।

14 सभी सफाई कर्मी को ड्रेस देना होगा तथा शर्ट की जेब में सफाई कर्मी अंकित हो , जो स्पष्ट दिखाई दे

15 जहां जहां साफ — सफाई के साथ पोछा एवं धुलाई की आवश्यकता होगी , वह भी करना होगा साथ ही सप्ताह में एक दिन फर्श , सीढियों , रेम्प (टाइल्स , मार्बल व कोटा स्टोन) की सफाई करनी होगी

16 परिसर का जो भाग , अंतःसत्रकाल में इस्तेमाल नहीं होता है , अंत़ःसत्रकाल में उसकी साफ—सफाई सप्ताह में एक बार ''सी'' सेक्टर में गुरूवार तथा ''ए'' और ''बी'' सेक्टर में सोमवार को सफाई की जाएगी

17 सभी फर्नीचरों , दरवाजों , खिडकियों की तथा कांच/ग्रिल की रोजाना सफाई की जोयगी

18 मशीनों का उपयोग मार्बल/कोटा स्टोन, टाइल्स तथा फर्श आदि के लिए किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त अन्य कोई मशीन जिससे कार्यगुणवत्ता बढ़ती हो तो निविदाकर्ता उसका पृथक से उल्लेख निविदा प्रस्ताव कर सकता हैं ।

19 सभी सफाई करने वाले को अनुशासन में रहकर कार्य करना होगा तथा कक्षों में रखे अभिलेख एवं उपकरणों से छेडछाड़ नहीं करना होगा यदि किसी अभिलेखों या उपकरणों को क्षति पहुंचाना पाया गया तो होने वाली हानि की वसूली ठेकेदार से की जायेगी ।

20 सफाई कर्मचारी नियमित रूप से प्रातः **8:30** से संध्या **5:30** तथा सत्रकाल में सदन की बैठक समाप्ति तक आवश्यकतानुसार उपस्थित रहेंगे ।

21 सफाई कर्मी संदिग्ध अवस्था में पाए जाने , विधानसभा कर्मियों से दुर्व्यवहार करने एवं काम ठीक से न करने पर उसे विधानसभा की साफ–सफाई कार्य से हटा दिया जावेगा

22 विधानसभा भवन की उचित साफ–सफाई न होने पर शिकायत आने पर या निरिक्षण में लापरवाही एवं अनियमितता पाये जाने की स्थिति में **रूपये 500/–** तक प्रतिदिन शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित कर कटौती मासिक देयक से की जावेगी ।

23 सफाई की पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था निविदाकार फर्म द्वारा की जावेगी तथा सचिवालय की संपदा शाखा की देख–रेख में उसका उपयोग किया जावेगा , इसकी जांच आवश्यकता पड़ने पर सचिवालय या निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी ।

24 परिसर में जब मशीनों का उपयोग नहीं रहेगा तब सचिवालय द्वारा निर्धारित अवधि में मशीनों को परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति विधानसभा सचिवालय से प्राप्त करनी होगी ।

25 अनुबंधकर्ता नियत अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा और यदि बीच में कार्य छोडा गया जो नवीन ठेके से होने वाली क्षति की वसूली की जावेगी ।

26 प्रत्येक माह सफाई का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही माह के अंत में प्रस्तुत देयक का भुगतान किया जावेगा ।

27 साफ सफाई हेतु प्रयुक्त सामग्री उत्तम गुणवत्ता की प्रयोग में लाना होगा व समस्त सामग्री का स्टॉक भी रखना होगा ।

28 अन्तःसत्रकाल में कम से कम 12 सफाई कर्मी तथा सत्रकाल में आवश्यकतानुसार अधिक सफाई कर्मी रखना आवश्यक होगा ।

29 अमानत राशि के रूप में जमा राशि ठेके की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में राजसात की जा सकेगी ।

30 ठेके की अवधि में उत्पन्न होने वाले किसी विवाद पर निर्णय करने का संपूर्ण अधिकार अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा , रायपुर को होगा तथा उनका निर्णय बंधनकारी होगा ।

<u>वांछंनीय शर्तें :</u>

1 किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सफाई कार्यानुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा) वाले निविदाकार को प्राथमिकता दी जा सकेगी

2 सफाई कर्मियों का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीयन कराने वाले निविदाकार को प्राथमिकता दी जा सकेगी ।